

कार्यालय नगर पालिका परिषद, सम्भल (उ०प्र०)

पत्र संख्या:- 727 /गृ०वि०/2023

दिनांक:-08/11/2023

साइकिल/यात्री वाहन/टैक्सी स्टैण्ड आदि का ठेका उठाने हेतु नीलामी की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद, सम्भल में वर्ष 2023-24 (01.11.2023 से 31.03.2024 तक) हेतु निम्न तालिका में अंकित विवरण अनुसार किराये पर लेने हेतु नीलामी खुली बोली के माध्यम से दिनांक:-18.11.2023 दिन शनिवार... समय पूर्वाह्न 11:00 बजे कार्यालय नगर पालिका परिषद, सम्भल के प्रांगण में की जायेगी।

कार्य/नीलामी का विवरण

क्र० सं०	कार्य का विवरण	बोली/नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति हेतु पंजीकरण शुल्क	जमानत धनराशि
1	चन्दौसी रोड स्थित कुरुक्षेत्र मैदान (ग्राउण्ड) में साइकिल/यात्री बस वाहन/टैक्सी स्टैण्ड का ठेका/पार्किंग शुल्क की नीलामी।	7,500/- रुपये	3,00,000/- रुपये

नीलामी में भाग लेने से पूर्व अनिवार्य शर्तें :-

1- जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र।

2- पंजीकरण शुल्क।

3- जमानत धनराशि।

4- आधार कार्ड।

5- पैन कार्ड।

6- नगर पालिका परिषद, सम्भल से निर्गत अदेय प्रमाण पत्र।

7- बोली में भाग लेने वाले व्यक्ति द्वारा दस रुपये के स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि उनके विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा पंजीकृत नहीं है।

शेष शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

1-बोली/नीलामी में भाग लेने हेतु पंजीकरण शुल्क जमा कर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। साथ ही नियत दिनांक:-17.11.2023 समय अपराह्न 5:00 बजे तक जमानत धनराशि (डी०डी०/नकद) जमा करनी होगी। किन्तु पंजीकरण शुल्क वापस नहीं होगी। पंजीकरण शुल्क/जमानत धनराशि चेक के माध्यम से स्वीकार नहीं होगी।

2-पंजीकरण कराने के पश्चात जमानत धनराशि जमा करने वाला व्यक्ति ही बोली/नीलामी में भाग ले सकता है।

3-नीलामी ठेका स्वीकृति के उपरान्त उस व्यक्ति को कुल धनराशि का 1/2 भाग तत्काल जमा करना होगा। शेष धनराशि माह जनवरी, 2024 के प्रथम सप्ताह में जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में नीलामी निरस्त कर दी जायेगी।

4-यदि किसी की बोली नहीं छुटती है तब ऐसी स्थिति में जमानत धनराशि चेक के माध्यम से वापस की जायेगी। नीलामी ठेका स्वीकृति उपरान्त ठेकेदार को कोविड-19 की गाईड लाईन का पालन करना होगा।

5-शर्तें पूरी न करने पर नगर पालिका परिषद, सम्भल के सक्षम अधिकारी को नीलामी ठेका निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

6- नीलामी ठेका स्वीकृति उपरान्त पार्किंग स्थल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/निर्माण सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा नहीं किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुए बेदखली की कार्यवाही की जायेगी।

7- पार्किंग स्थल पर कोई भी क्षति होने पर उस धनराशि की वसूली जमानत धनराशि से की जायेगी।

8-विवाद होने की स्थिति में समस्त न्यायिक क्षेत्राधिकार जनपद-सम्भल का होगा।

9-न०पा०परि०सम्भल से सम्बन्धित कर्मचारी एवं अध्यक्ष/सभासद व इनके परिजनों को नीलामी में बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी।

10-पार्किंग स्थल का उपयोग मात्र वाहन स्टैण्ड के रूप में किया जायेगा तथा दशहरा मेला हेतु एक सप्ताह के लिए पार्किंग स्थल को खाली रखना अनिवार्य होगा जिसके लिए पृथक से कोई धनराशि देय नहीं होगी।

11-कोविड-19 या किसी अन्य कारण से सरकार के दिशा निर्देशों के अधीन पार्किंग संचालन पर रोक लगाने की दशा में कोई छूट अनुमान्य नहीं होगी। समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

12- नीलामी ठेका स्वीकृति उपरान्त उस व्यक्ति को कुल धनराशि का 4 प्रतिशत स्टाम्प जमा करना अनिवार्य होगा।

नगर पालिका परिषद, सम्भल की वेबसाईट www.nagarpalikasambhal.in पर उक्त नीलामी से सम्बन्धित विवरण, शर्तें देखी जा सकती है एवं विस्तृत जानकारी कार्यालय दिवस में प्राप्त की जा सकती है।


अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, सम्भल


अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, सम्भल

पत्र संख्या एवं दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि:-

1. सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला/आह्लास सम्भल को अपने अगामी अंक में छोटे आकार में कम से कम ब्यय पर एक बार प्रकाशन हेतु।
2. नगर पालिका परिषद, सम्भल की वेबसाइट www.nagarpalikasambhal.in पर अपलोड करने हेतु।


अधीशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, सम्भल


अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, सम्भल